एमएसएमई डाटा बुक

सत्यमेव जयते

MSME

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन)

http://msme.gov.in/mob/home.aspx

कलराज मिश्र
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
भारत सरकार

गिरिराज सिंह
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
भारत सरकार

एमएसएमई डाटा बुक

सत्यमेव जयते

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन)

एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली

msme.gov.in पर शिकायतें ऑनलाइन दाखिल करें

मई 2016

प्रकाशक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन)

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011.

विषय सूची

परिचय	1
नई पहलें	3
योजना अनुसार उपलब्धियाँ (2014-16)	24
खादी और ग्रामोद्योग, कयर बोर्ड का कार्यनिष्पादन	28
योजनाओं के अनुसार सूलमउ मंत्रालय का बजट अनुमान 2016-17	29
सूलमउ मंत्रालय का विगत 10 वर्ष का योजना व्यय	31
विवरण :	
अखिल भारतीय	32
सूलम उद्यमों की परिभाषा	33
उद्योग आधार के अंतर्गत पंजीकृत सूलमउ	33
ईएम-2 पंजीकरण	36
संगठन के प्रकार के अनुसार कार्यशील सूलमउ का विभाजन	37
यूएएम का राज्यवार विवरण	38

पंजीकृत उद्यम 40
पंजीकृत क्षेत्र में रोज़गार 40
रोजगार 41
गणना मे लघु उद्योग और सूलमउ की संख्या (लाख में) 41

संपर्क विवरण 42

परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं को या तो सीधे या विकास आयुक्त (सूलमउ), एनएसआईसी, केवीआईसी और कयर बोर्ड जैसे मंत्रालय के अधीनस्थ विभिन्न संगठनों माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। सूलमउ मंत्रालय की इन योजनाओं को निम्नलिखित क्षेत्रों विभाजित किया गया है:-

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजना
2. खादी, ग्राम और कयर उद्योगों का विकास
3. प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन
4. विपणन संवर्धन योजनाएँ
5. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम

6. अवसंरचना विकास कार्यक्रम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संगठन निम्नलिखित हैं :-

1. विकास आयुक्त (डीसी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
3. कयर बोर्ड
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)
5. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)
6. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

नई पहलें

1. उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम)

व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय ने 18 सितंबर 2015 को 'उद्योग आधार ज्ञापन' यानी यूएएम को अधिसूचित और शुरू किया। इसका उद्देश्य उद्यमियों को स्व-प्रमाणन के आधार पर एक पृष्ठ का सरल फार्म ऑनलाइन दाखिल कर उनके उद्योग का पंजीकरण आसान बनाना है। यूएएम की ऑनलाइन फाइलिंग न सिर्फ निःशुल्क है, बल्कि इसके लिए अन्य सहायक दस्तावेज़ भी ज़रूरत नहीं हैं। य सितंबर 2015 में अपने कार्यान्वयन के बाद से 31 मार्च 2016 तक 5 लाख से अधिक उद्यमियों ने अपना पंजीकरण करवाया है।

2. क्षेत्रीय सभा

मा. केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र ने दो क्षेत्रीय

सभाओं (रिजीनल कान्क्लेव) का आयोजन किया, जिनमें से एक चंडीगढ़ (उत्तरी राज्यों के लिए) और दूसरा दिमापुर (उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए) आयोजित की गई थी। दिमापुर में आयोजित सभा के परिणाम स्वरूप उत्तर-पूर्वी राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए दो खास योजनाओं की घोषणा की गई। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित सभा में विभिन्न क्षेत्रीय संघों के साथ जन अधिप्राप्ति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। अन्य तीन सभाओं का आयोजन क्रमशः भोपाल, राँची और बैंगलोर में निकट भविष्य में करने की योजना बनाई गई है।

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनर्वास और पुनरुज्जीवन की रूपरेखा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूलमउ पुनर्वास और पुनरुज्जीवन की रूपरेखा' तैयार कर उसे 29 मई, 2015 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 मार्च 2016 को बैंकों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत

बैंकों को सुधारात्मक कार्य योजना के ज़रिये 30 जून 2016 तक सूलमउ के पुनर्वास और पुनरुज्जीवन का एक ढाँचा तैयार करने का आदेश दिया गया है।

4. शिकायतों की निगरानी

यह मंत्रालय केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरए एमएस) पर प्राप्त सभी शिकायतों का निपटारा करता है। इसी कारण सीपीजी आरएएमएस पर 31 मार्च 2016 को लंबित शिकायतों की संख्या 20 से भी कम थी। इसके अलावा इस मंत्रालय में अन्य शिकायतों और सुझावों की ट्रैकिंग तथा निगरानी के लिए एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली शुरू की है।

5. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना (एस्पायर)

इस मंत्रालय ने मार्च, 2015 में 'एस्पायर' नामक एक नई योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत

15.4.2015 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित किया गया। दूसरे केंद्र का उद्घाटन राजकोट, गुजरात में किया गया। इसके बाद 21 आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर और 2 प्रौद्योगिकी बिजनेस इन्क्यूबेटर अनुमोदित किए जा चुके हैं।

6. अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए जून 2015 में स्वीडन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग, क्रेता-विक्रेता को प्रतिनिधि मंडलों आदि की बैठकों के लिए बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एवं गाम्बिया के समकक्ष संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया । आईजीटीआर, औरंगाबाद ने ऑटोमोटिव उद्योग के लिए उन्नत वेल्डिंग केन्द्र स्थापित करने के लिए वेल्डिंग संस्थान, यू.के. के

साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

7. प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम

मंत्रालय ने विश्व बैंक की सहायता से 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच ऋण समझौते पर 10.11.2014 को हस्ताक्षर किये गये थे तथा यह ऋण 19.12.2015 से प्रभावी हो चुका है। 10 राज्यों में स्थान की पहचान कर ली गई है तथा 10 स्थानों पर कुल 160 एकड़ भूमि कब्जे में ली गई है। भिवाड़ी (राजस्थान), बद्दी (हिमाचल प्रदेश) तथा इंफाल (मणिपुर) में भी शिलान्यास किया जा चुका है।

8. उद्योग में साझेदारी

विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने सैमसंग उत्पादों की मरम्मत एवं रखरखाव में युवाओं को कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से 10 सूलमउ सैमसंग प्रौद्योगिकी विद्यालयों की स्थापना के लिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ

एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अनुसार ये स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने भी युवाओं को अपने उत्पादों एवं सेवाओं को प्रचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एस्कॉर्ट्स, कार्ल जेइस, श्नाइडर तथा एबीबी के सहयोग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं।

9. एमएसएमई डाटा बैंक

डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस युग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसलिए मंत्रालय ने एमएसएमई से संबंधित ऑनलाइन डाटा प्राप्त करने के लिए www.msmedatabank.in के माध्यम से एक नई पहल की है। इससे मंत्रालय को चौथी अखिल भारतीय गणना के समय ₹ 200 करोड़ तक के किए गए व्यय की भरपाई में मदद मिलेगी।

10. माई एमएसएमई

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने को उद्यमों के लिए सुगम बनाने हेतु कार्यालय ने 'माई एमएसएमई' नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन प्रारंभ किया है। इसे एक मोबाइल एप के रूप में भी रूपांतरित किया गया है। इससे उद्यमी अपने मोबाइल फोन से ही आवेदन कर सकेंगे और उसे ट्रैक भी कर सकेंगे। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की उस इच्छा के अनुरूप है, जिसके अनुसार प्रशासन न केवल डिजिटल माध्यम का हो बल्कि मोबाइल फ्रेंडली भी हो।

11. बाज़ार संवर्धन एवं विकास सहायता (एमपीडीए)

विपणन विकास सहायता योजना (एमपीडीए) खादी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का विलय कर एक एकीकृत योजना के रूप में प्रारंभ की गई है। इसमें प्रचार, विपणन, बाज़ार का

संवर्धन तथा विपणन विकास सहायता शामिल है। इसके अलावा खादी प्लाजा के निर्माण के लिए अनुदान/सब्सिडी भी उपलब्ध होगी। इस योजना से कामगारों को अधिक आय सुनिश्चित होगी।

12. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक व्यापक नीति बनाने का निर्णय लिया है। एक व्यक्ति की समिति श्री प्रभात कुमार, पूर्व राज्यपाल, झारखण्ड एवं मंत्रिमंडल सचिव तथा पूर्व विकास आयुक्त, लघु उद्योग के साथ गठित की गई है। यह समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस विचार में क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नीतियों को एकीकृत करना तथा एक व्यापक नीति लाना है।

13. जन अधिप्राप्ति आदेश

जन अधिप्राप्ति आदेश 1.4.2015 से अब अनिवार्य हो गया है। सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को सुनिश्चित रूप से लाभ पहुँचाने के लिए विक्रेता विकास पहलों

को अपनाया गया है। मा. केंद्रीय सूलमउ मंत्री श्री कलराज मिश्र और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरीराज सिंह ने भी मार्च 2016 में केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के साथ पहली बार बैठक की अध्यक्षता की जिससे विक्रेता विकास तथा जन-अधिप्राप्ति पर ज़ोर दिया जा सके। सूलम उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु सीपीएसई ने अधिप्राप्ति में नये उद्यमों को अनुभव की आवश्यकता तथा पूर्व कारोबार में छूट दी है।

14. सभी ज़िलों की स्किल मैपिंग

देश के लगभग 600 ज़िलों की एक विशेष कार्यक्रम के तहत मैपिंग कर इस बात पर विचार किया गया कि किस ज़िले में किस तरह के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास किया जा सकता है। साथ ही इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किस तरह के कौशलों की आवश्यकता है। इस दिशा में अब तक इस तरह का अभिनव प्रयास पहली बार किया गया है।

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-16 में कार्यान्वित स्कीमों की उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):

वर्ष 2014-16 के दौरान कुल 92,508 इकाइयाँ स्थापित की गईं जिन्होंने 6,80,864 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया। कुल योजना बजट व्यय ₹ 2142.59 करोड़ की राशि का हुआ।

परंपरागत उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति) :

यह स्कीम प्रथम चरण में 44,500 कारीगरों की कवरेज के साथ 71 क्लस्टर (कयर सहित) विकसित करने के लिए 149.44 करोड़ रुपये के परिव्यय से 2014 के दौरान पुनरूद्धारित की गई। वर्ष 2015-16 के दौरान 71 नैदानिक अध्ययन रिपोर्ट तथा क्लस्टरों की विस्तृत रिपोर्ट ₹ 30.29 करोड़ की निधि के साथ 30,438 कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए अनुमोदित की गई।

कार्यनिष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम (पीसीआरएस) :

इन एजेंसियों द्वारा विगत दो वर्षों 2014-15 और 2015-16 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी रेटिंग करवाने के लिए ₹ 125 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।

विपणन सहायता स्कीम :

एनएसआईसी के माध्यम से घरेलू एवं राष्ट्रीय बाजार दोनों स्तर पर प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए एमएसई की सहायता के लिए वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान ₹ 28.20 करोड़ की राशि संवितरित की गई। वर्ष 2014-15 के दौरान 137 तथा 2015-16 में 3,959 इकाइयों ने 112 मेलों में भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम :

अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में सहभागिता के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान 43 कार्यक्रमों और 603 उद्यमियों को लाभ पहुँचाते हुए ₹ 3.95 करोड़ और वर्ष 2015-16 के दौरान 55 कार्यक्रमों तथा 875 उद्यमियों को लाभ पहुँचाते हुए ₹ 3.6 करोड़ खर्च किये गये।

प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम:

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 159.12 करोड़ 6,551 ईडीपी/ईएसडीपी के आयोजन के लिए खर्च किए गए और इन कार्यक्रमों से 1,85,573 भागीदार लाभान्वित हुए।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम निधि ट्रस्ट (सीजीटीएसएमई):

सीजीटीएसएमई स्कीम के माध्यम से 4,03,422 ऋण आवेदन वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2,12,74.82 करोड़ की गारंटी कवरेज के साथ अनुमोदित किए गए और वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 19,949.39 करोड़ की गारंटी कवरेज के साथ 5,13,978 ऋण आवेदन अनुमोदित किए गए।

लीन विनिर्माण:

वर्ष 2014-16 के दौरान ₹26.10 करोड़ की निधि सहायता से 2,355 इकाइयाँ लाभान्वित हुईं।

ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) :

सीएलसीएसएस के अंतर्गत ₹ 448.85 करोड़ की राशि खर्च की गई जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान 7246 इकाइयाँ लाभान्वित हुई एवं वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 322.43 करोड़ खर्च हुए जिससे 5047 इकाइयाँ लाभान्वित हुई।

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी) :

वर्ष 2014-15 के दौरान 43 क्लस्टरों में ₹ 63.18 करोड़ तथा वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 81.36 करोड़ के खर्च से नैदानिक अध्ययन, सॉफ्ट इंटरवेंशनों तथा आधारभूत संरचना विकास जैसे विभिन्न इंटरवेशनों को अंजाम दिया गया।

डिजाइन क्लिनिक स्कीम (एनएमसीपी) :

इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 9.06 करोड़ खर्च कर 6273 इकाइयों को लाभान्वित किया गया।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) :

वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान 1072 तथा 4938 इकाइयों ने जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया।

इंक्यूबेशन :

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 2.68 करोड़ के व्यय से 35 मेजबान संस्थान और 143 विचार अनुमोदित किए गए तथा वर्ष 2015-16 के दौरान 145 विचारों और 45 मेजबान संस्थानों को ₹ 6.22 करोड़ की सहायता के साथ अनुमोदित किया गया।

जेडईडी मैच्युरिटी मॉडल: गुणवत्ता प्रबंधन मानक (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल्स (क्यूटीटी) –एनएमसीपी :

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 1.43 करोड़ की निधि सहायता से 3,480 इकाइयों की सहायता की गई और 2015-16 के दौरान ₹ 2.13 करोड़ से 5,461 इकाइयों की भागीदारी हुई।

महिलाओं के लिए व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता

और विकास (ट्रेड) : वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 4.54 करोड़ के कुल व्यय से 11,825 इकाइयाँ लाभान्वित हुईं।

विपणन सहायता एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू) :

इस स्कीम के माध्यम से वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 3.02 करोड़ के निधि की सहायता से 1,122 इकाइयाँ लाभान्वित हुईं।

विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) :

समग्र रूप से वर्ष 2014- 16 के दौरान ₹8.28 करोड़ के व्यय के साथ देश के विभिन्न भागों में वीडीपी के तहत आयोजित प्रदर्शनियों में कुल 37138 इकाइयों ने भाग लिया।

बाजार विकास सहायता (एमडीए) :

इस योजना के माध्यम से वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 8.28 करोड़ की राशि के साथ 580 इकाइयाँ लाभान्वित हुईं।

बार कोड स्कीम :

वर्ष 2014-16 के दौरान 1,669 इकाइयाँ ₹ 2.98 करोड़ से लाभान्वित हुईं।

सूलमउ के लिए प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन सहायता :

इसके तहत ₹ 48.32 करोड़ की राशि खर्च की गई तथा ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद प्रमाणन प्रतिपूर्ति के कार्यान्वयन में 251 इकाइयों की सहायता की गई।

कयर क्षेत्र :

कयर उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन से अधिक बढ़ गया है और अब विगत दो वर्षों के दौरान 5,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो चुका है। कयर एवं कयर उत्पादों का निर्यात ₹ 300 करोड़ से अधिक बढ़ गया है जोकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 1,852 करोड़ हो गया है। कयर उद्योग कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग है, जो देश के नारियल उत्पादक प्रमुख राज्यों में वर्तमान में ₹ 7.21 लाख कर्मचारियों (80% कार्यबल महिलाएं हैं) से अधिक को रोजगार देता है

कयर उद्यमी योजना :

वर्ष 2014-16 के दौरान ₹ 14.60 करोड़ 880 इकाइयों की स्थापना में मार्जिन मनी के रूप में खर्च किए गए जिसका अनुमानित परियोजना मूल्य ₹ 36.92 करोड़ है जिससे लगभग 8520 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुए।

कयर विकास योजना :

इस प्रयोजनार्थ पिछले दो वर्षों के दौरान ₹ 50 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई है। इस व्यय से कयर उत्पादों में 27 हजार से अधिक लोगों को मूल्य संवर्धित प्रशिक्षण प्रदान किया गया, 15,476 महिलाओं को महिला कयर योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया और 159 कंपनियों को देश में और विदेश में आयोजित 22 मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

खादी और ग्रामोद्योग :

इन दो क्षेत्रों में पिछले दो वर्षों के दौरान रोजगार प्रदान करने में ₹ 8.5 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में कुल रोजगार 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार ₹ 139.07 लाख है। पिछले दो वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में

कुल उत्पादन में ₹ 1,921 करोड़ की वृद्धि हुई है जिससे कि यह बढकर कुल ₹ 28,030 करोड़ हो गया है।

खादी संस्थाओं में वृद्धि :

केवीआईसी के पास 2223 पंजीकृत संस्थाएं हैं जिनमें से 1,850 संस्थाओं को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता योजना के तहत प्रत्यक्ष सहायता दी गई। वर्ष 2014-16 के दौरान कुल प्रत्यक्ष सहायता ₹ 325.89 करोड़ की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,945 करोड़ की खादी का उत्पादन हुआ। इसके अलावा ₹ 172 करोड़ के पॉलीवस्त्र के उत्पादन में सहायता देने के लिए ₹ 31.71 करोड़ का अनुदान दिया गया। ब्याज सब्सिडी के लिए ₹ 81.31 करोड़ का अनुदान दिया गया जिससे पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग ₹ 370 करोड़ की कार्यशील पूंजी का लाभ उठाने में खादी संस्थाओं को सहायता मिली।

खादी कारीगर :

वर्कशेड निर्माण के लिए ₹ 25.21 करोड़ जारी किए गए हैं जिसके परिणाम स्वरूप 5,424 वर्कशेडों का निर्माण

किया गया। ₹ 2.96 लाख कारीगरों को आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा दी गई है। खादी कारीगरों के लगभग 10 हजार बच्चों को प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। 1,945 संस्थानों और 1,10,000 हजार कारीगरों को शामिल करते हुए 21 राज्यों में कारीगर कल्याण कोष न्यास स्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड :

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) ने 19 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कच्चे माल की आपूर्ति कर एमएसएमई को सहायता उपलब्ध कराई और विगत दो वर्षों के लगभग 12,000 इकाइयों की सहायता की। इसने 3,857 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ₹ 7,059 करोड़ ऋण सहायता भी उपलब्ध कराई। वर्ष 2014-15 और 2015-16 दोनों को मिलाकर कुल व्यापार ₹ 20,000 करोड़ से अधिक का रहा है और कर से पूर्व का लाभ लगातार बढते हुए वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 158 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) :

इसके द्वारा देश के 25 राज्यों जैसे बिहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना इत्यादि में 4,179 उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 133968 युवाओं / कार्यकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके द्वारा विभिन्न राज्यों में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें 24,187 लोगों का मजदूरी रोजगार के लिए चयन किया गया। निम्समे ने 35 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 76 देशों के 655 अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारियों ने भाग लिया। यह हर्ष की बात है कि निम्समे 2014-16 में आईटीईसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के 50 वर्ष पूरे करेगा। पहली बार निम्समे ने भूटान,श्रीलंका तथा बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का भी कार्यान्वयन किया है। निम्समे द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विषयों पर रचनाएं प्रकाशित की गई है और विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित 23

परियोजनाओं पर अनुसंधान तथा परामर्श प्रदान किया गया है।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

वर्ष 2014-16 में एमगिरी कई तरह की प्रौद्योगिकियों के साथ उभरा है जिनमें से पाँच निम्नानुसार सूचीबद्ध की जा सकती हैं:

(1) साबुन, डिटर्जेंट एवं इसके कच्चे माल की जाँच किट

(2) खादी वस्त्रों की रंगाई, फिनिशिंग

(3) कुम्हार के अलग-अलग गति से चलने वाले चाक

(4) बायोगैस इंजन रूपांतरण किट तथा

(5) जैव खाद डायग्नोस्टिक किट।

एमगिरी ने गत दो वर्षों के दौरान 219 सौर चरखें स्थापित किए हैं जिनमें विशेष रूप से नवादा (बिहार) एवं नागपुर(महाराष्ट्र) में स्थापित सौर चरखे उल्लेखनीय हैं। एमगिरी ने गत दो वर्षों में इसके शुरूआत की तुलना में 25 पेटेंट फाइल भी किए हैं।

योजना अनुसार उपलब्धियाँ (2014-16)

क्र. सं.	स्कीम	लाभान्वित इकाई/व्यक्ति	व्यय करोड़ रु.
1	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता स्कीम**		
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	92,508 व्यक्ति	2,142.59
2	कार्यनिष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम (पीसीआरएस)	36,348	125
2	**खादी ग्राम और कयर उद्योगों का विकास**		
1	बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता	2,223 संस्था	3,285.89
2	खादी कारीगर	1,945 संस्था	25.21
3	कयर उद्यमी योजना	880 इकाइयाँ	14.60
4	कयर विकास योजना	27,000 व्यक्ति	50.94
5	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	71 क्लस्टर 30,438 कारीगर	149.44

क्र. सं.	स्कीम	लाभान्वित इकाई/व्यक्ति	व्यय करोड़ रु.
3	**प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन**		
1	सूलमउ उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहयता	251 इकाइयाँ	16.49
2	लीन विनिर्माण	2,355 इकाइयाँ	26.10
3	ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)	1 करोड़ इकाइयाँ	771.28
4	बार कोड स्कीम	1,669 इकाइयाँ	2.98
5	डिजाइन क्लीनिक योजना (एनएमसीपी)	6,273 इकाइयाँ	9.06
6	बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)	6010 इकाइयाँ	2.57
7	इंक्यूबेशन	80 संस्थाएँ 288 विचार अनुमोदित	8.9

क्र. सं.	स्कीम	लाभान्वित इकाई/व्यक्ति	व्यय करोड़ रु.
4	**उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम**		
1	महिलाओं के लिए व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता और विकास (ट्रेड)	11825 इकाइयाँ	4.54
2	प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) योजना	1,85, 573 भागीदार	159.12
5	**विपणन संवर्धन स्कीम**		
1	विपणन सहायता स्कीम	3,959 इकाइयाँ	28.20
2	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम	1,478 उद्यमी	7.55
3	बाजार विकास सहायता (एमडीए)	518 इकाइयाँ	8.28
4	विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)	37,138 इकाइयाँ	7.90
5	विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन (माटू)	1,122 इकाइयाँ	2.03

क्र. सं.	स्कीम	लाभान्वित इकाई/व्यक्ति	व्यय करोड़ रु.
6	**अवसंरचना विकास कार्यक्रम**		
1	सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसईसीडीपी)	112 क्लस्टर	144.54

खादी और ग्रामोद्योग, कयर बोर्ड का कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16 (अनं)
क.	**उत्पादन मूल्य** (₹ करोड़ में)			
	खादी	811.08	879.98	1065.00
	ग्रामोद्योग	25298.00	26689.39	26965.00
	कुल-क	**26109.08**	**27569.37**	**28030.00**
ख.	**बिक्री मूल्य** (₹ करोड़ में)			
	खादी	1081.04	1170.38	1510.00
	ग्रामोद्योग	30073.16	31965.52	36425.00
	कुल-ख	**31154.20**	**33135.90**	**37935.00**
ग.	**रोजगार** (लाख व्यक्तियों में)			
	खादी	10.98	11.06	11.07
	ग्रामोद्योग	119.40	123.19	128.00
	कुल-ग	**130.38**	**134.25**	**139.07**

(अ): अनं-अनंतिम

कयर बोर्ड का कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	कार्यकलाप	2014-15	2015-16
1	उत्पादन (लाभ मीट्रिक टन)	5.418	5.492
2	निर्यात (₹ करोड़)	1630.33	1852

योजनाओं के अनुसार सूलमउ मंत्रालय का बजट अनुमान 2016-17

क्र.सं.	स्कीम		(₹ करोड़ में)
1	खादी, ग्राम और कयर उद्योगों का विकास	खादी अनुदान	30.00
		ग्रामोद्योग अनुदान	34.37
		खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम (एडीबी सहायता)	5.00
		खादी, ग्रामोद्योग और कयर (विज्ञान और प्रौद्योगिकी)	9.00
		बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)	341.63
		परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	75.00
		कयर विकास योजना	15.00
		कयर उद्यमी योजना	20.00
2	प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन के लिए योजना (एस्पायर)	100.00
		राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी)	385.00
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	1139.00
		ब्याज सब्सिडी प्रमाण पत्र	49.50

	और अन्य ऋण सहायता योजनाएं	ऋण सहायता कार्यक्रम	50.00
		भारत नव प्रवर्तन, उद्यमिता एवं कृषि उद्योग निधि	1.00
		कार्यनिष्पादन और ऋण रेटिंग स्कीम	200.00
4	विपणन संवर्धन स्कीम	विपणन विकास सहायता (एमडीए)	15.50
		विपणन सहायता स्कीम	20.00
		अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम	8.00
5	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम	एमगिरी	6.50
		संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	33.00
		प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता	79.99
		राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	1.00
		सूलमउ निधि	0.01
6	अवसंरचना विकास कार्यक्रम	अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण (पूर्ववर्ती एमएसएमई सीडीपी और एमएसएमई ग्रोथ पोल)	266.00
		ईएपी घटक	75.00
		कार्यालय आवास का निर्माण	10.00
7	अनुसंधान अध्ययन और विकास	डाटाबेस का उन्नयन	28.50
		सर्वेक्षण अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान	2.00
कुल			**3000.00**

* अनंतिम

सूलमउ मंत्रालय का विगत 10 वर्ष का योजना व्यय

		(₹ करोड में)
क्र.सं.	**वर्ष**	**व्यय**
1	2015-16	2440.56
2	2014-15	1908.98
3	2013-14	2281.15
4	2012-13	2236.46
5	2011-12	2019.55
6	2010-11	2271.61
7	2009-10	1392.62
8	2008-09	1658.05
9	2007-08	1420.19
10	2006-07	1283.69

* अनंतिम

अखिल भारतीय	
सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य (2014-15)[1]	₹ 114.72 लाख करोड़
सकल घरेलू उत्पाद नियत मूल्य 2011-12 (2014-15)[1]	₹ 97.27 लाख करोड़
रोजगार (2011-12)[2]	₹ 47.29 करोड़
निर्यात (2014-15)[3]	$310.33 बिलियन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी	
सकल मूल्य वर्धित वर्तमान मूल्य (2015-16)	₹ 37.79 लाख करोड़ (32.94%)
सकल मूल्य वर्धित नियत मूल्य (2015-16)[1]	₹ 32.43 लाख करोड़ (33.34%)
रोजगार[4]	₹ 8.05 करोड़
निर्यात (2014-15)[3]	$138.93 बिलियन (44.74%)
रोजगार (2016)	₹ 11.07 करोड़
सूलमउ इकाइयाँ (2016)	₹ 1.1 करोड़

1. सीएसओ (2016),सकल मूल्यवर्धित
2. एनएसएसओ (2011-12)
3. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय-वाणिज्य और उद्योग विभाग दिनांक 9.5.2016
4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006-07

लघु उद्योगों का विकास

संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अनुसार परिभाषा

वर्ष	लघु उद्योग (संयंत्र और मशीनरी)
1966	₹ 7.5 लाख तक
1975	₹ 28 लाख तक
1980	₹ 35 लाख तक
1991	₹ 60 लाख तक
1997	₹ 300 लाख तक
1999	₹ 100 लाख तक
2006	सूक्ष्म उद्यम : ₹ 25 लाख तक
	लघु उद्यम : ₹ 25 लाख से ₹ 500 लाख के बीच में

उद्योग आधार के अंतर्गत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (लाख)

उद्यम के प्रकार	पंजीकृत यूएएम की संख्या*
सूक्ष्म	4.26
लघु	0.71
मध्यम	0.03
कुल	5.00

* सितम्बर, 2015 से 31/3/2016 तक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत परिभाषित हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कोई भी उद्यम, चाहे स्वामित्व, हिन्दू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ सहकारी समिति, साझेदारी अथवा उपक्रम अथवा अन्य विधिक संस्था, जो किसी नाम से बोली जाए, उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए और अन्य उद्यम क्रमश: निम्नानुसार संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरणों में निवेश के सीमित घटक के अधीन उत्पादन में लगे और सेवा प्रदान करते हैं, शामिल हैं:

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम #	सेवा उद्यम $
सूक्ष्म	₹ 25 लाख तक	₹ 10 लाख तक
लघु	₹ 25 लाख से ₹ 5 करोड़ के बीच में	₹ 10 लाख से ₹ 2 करोड़ के बीच में
मध्यम	₹ 5 करोड़ से ₹ 10 करोड़ के बीच में	₹ 2 करोड़ से ₹ 5 करोड़ के बीच में

संयंत्र और मशीनरी में निवेश,
$ उपकरण में निवेश

ईएम-2 पंजीकरण - वर्षवार

उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) आधारित पंजीकरण से पहले, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण उद्यमी ज्ञापन (ईएम-1) और उद्यमी ज्ञापन–2 (ईएम-2) के तहत दो चरणों में पूरा किया जाता था।

वर्ष	ईएम-2 की संख्या (लाख में)
2007-08	1.72
2008-09	1.93
2009-10	2.13
2010-11	2.38
2011-12	2.82
2012-13	3.22
2013-14	3.62
2014-15	4.25
2015-16#	2.21
कुल	**24.28**

सितम्बर, 2015 तक

संगठन के प्रकार के हिसाब से कार्यशील सूलमउ का विभाजन (लाख में)

उद्यम	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल
स्वामित्व	14.09	327.45	341.54
साझेदारी	0.63	3.65	4.28
निजी कंपनी	0.43	0.06	0.49
सहकारी समिति	0.05	1.16	1.21
अन्य	0.44	7.65	8.09
गैर रिकार्ड	0.00	6.15	6.15
कुल	**15.64**	**346.12**	**361.76**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006:2007

18 सितम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक यूएएम का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवेदन की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9792
2	अरुणाचल प्रदेश	61
3	असम	38
4	बिहार	98738
5	छत्तीसगढ़	4761
6	गोवा	791
7	गुजरात	52053
8	हरियाणा	4559
9	हिमाचल प्रदेश	1127
10	जम्मू और कश्मीर	58
11	झारखंड	21086
12	कर्नाटक	14517
13	केरल	11313
14	मध्य प्रदेश	39601
15	महाराष्ट्र	54671

16	मणिपुर	1712
17	मेघालय	2
18	मिजोरम	1
19	नागालैंड	12
20	ओडिशा	1 0127
21	पंजाब	4798
22	राजस्थान	34445
23	सिक्किम	49
24	तमिलनाडु	41653
25	तेलंगाना	20813
26	त्रिपुरा	516
27	उत्तर प्रदेश	45165
28	उत्तराखंड	1814
29	पश्चिम बंगाल	16449
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	522
31	चंडीगढ़	274
32	दादरा और नगर हवेली	244
33	दमन और दीव	179
34	दिल्ली	7804
35	लक्षद्वीप	10
36	पुडुचेरी	303
	कुल	**500058**

पंजीकृत उद्यम

	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
ग्रामीण	6.87	0.19	0.01	7.07
शहरी	7.98	0.57	0.02	8.57
सभी	**14.85**	**0.76**	**0.03**	**15.64**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006:2007

पंजीकृत क्षेत्र में रोज़गार

	रोजगार
ग्रामीण	36.82
शहरी	56.27
सभी	**93.09**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 2006:2007 की चौथी अखिल भारतीय गणना

रोजगार

क्र.सं.	क्षेत्र/लिंग	पंजीकृत	अपंजीकृत	कुल
1	विनिर्माण	80.84	239.23	320.07
2	सेवा	12.26	472.91	485.17
	कुल	**93.09**	**712.14**	**805.24**
3	पुरुष	74.05	610.62	684.68
4	महिला	19.04	101.52	120.56
	कुल	**93.09**	**712.14**	**805.24**

स्रोत: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की चौथी अखिल भारतीय गणना 2006:2007

गणना में लघु उद्योग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या

लघु उद्योग/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अखिल भारतीय गणना	संदर्भ वर्ष	लघु उद्योग/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
पहली गणना	1972-1973	1.40
दूसरी गणना	1987-1988	5.82
तीसरी गणना (पंजीकृत)	2001-2002	13.75
तीसरी गणना (अपंजीकृत)	2001-2002	91.46
तीसरी गणना (कुल)	**2001-2002**	**105.21**
चौथी गणना (पंजीकृत)	2006-2007	15.64
चौथी गणना (अपंजीकृत)	2006-2007	346.12
चौथी गणना (कुल)	**2006-2007**	**361.76**

नोट: इससे पहले की गणना का संकलन

संपर्क विवरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क्र.सं.	संगठनों का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	टेलीफोन	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली– 110011	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त (सूलमउ) , कार्यालय सातवां तल, ए-विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली–110011	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (केवीआईसी), ''ग्रामोद्यय'' 3, इर्ला रोड, विलेपार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, ''कयर हाउस'', एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि-682016, केरल	www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in	coir@md2.vsnl.net.in, coirboard@vsnl.com	0484-2351807, 2351788,2351954, 2354397	0484-2370034

क्र.सं.	संगठनों का नाम और पता	वेबसाइट	ई-मेल	टेलीफोन	फैक्स
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली- 110020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in, pro@nsic.co.in	011-26926275 26910910 26926370 टोल फ्री 1-800-111955	011- 26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), युसुफगुडा, हैदराबाद - 500 045	www.nimsme.org	dg@nimsme.org	040- 23608544-46 23608316-19	040- 23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी वर्धा- 442001	www.mgiri.org	director.mgiri@ gmail.com	0752-253512	0752- 240328

सत्यमेव जयते

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित संगठन)

उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011.